आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2019–20/652 दिनांक : 19.11.19

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय/
वित्तपोषित महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– स्कूटी योजनाओं के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु मेधावी छात्रा स्कूटी, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 23(16)लेखा/आकाशि/छा.स्कू.यो./2019–20/504 दिनांक–16.10.19 द्वारा 21.10.19 से 20.11.19 तक आमंत्रित किये गये थे।

राज्य में चल रही विभिन्न स्कूटी योजनाओं को इकजाई कर **"कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना "** की राज्य सरकार द्वारा बजट मे घोषणा की गई। जिसके क्रम में वित्त विभाग से अनुमोदित संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग की अ.शा. टीप पत्रांक प.3 (10) वित्त/व्यय–1/2019 दिनांक–18.10.19 के संदर्भ में शासन उपसचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्रांक प.1(4) शिक्षा–1/2019 दिनांक–23.10.19 के द्वारा उक्त योजना के दिशा निर्देश प्राप्त हुए है। जिसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को नोडल विभाग बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कॉमन पोर्टल विकसित कराने के उपरान्त स्कूटी हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेगें। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2019–20/653 दिनांक : 19.11.19

प्रतिलिपि–प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।

(राजकुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार

37

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 1(4)शिक्षा–1/2019 जयपुर, दिनांक : 23/10/19

आदेश

"कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना" के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का नोडल विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग है।

अतः निर्देशानुसार योजना का नोडल अधिकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को मनोनीत किया जाता है।

D. No. 759 /PS/CCE/DS
Dated 24/10/19

(अशोक कुमार त्रिवेदी)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
7. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
8. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा विभाग
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
11. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर
12. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
13. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, बजाज नगर, जयपुर
14. क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, टोडरमल मार्ग, अजमेर
15. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2, 6) विभाग

23/10/19
(नरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक, (सां.)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 1(4)शिक्षा–1/2019 जयपुर, दिनांक : 23/10/19

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राज0 बीकानेर।

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
राज0 उदयपुर ।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राज0 जयपुर।

निदेशक,
अल्पसंख्यक मामलात विभाग,
राज0 जयपुर ।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
राज0 जयपुर।

760
D. No. 24/10/19
Dated

विषय :–कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के दिशा–निर्देश भिजवाने बाबत।
संदर्भ :–संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग की अ.शा. टीप पत्रांक : प. 3(10) वित्त/व्यय–1/ 2019 दिनांक 18.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के द्वारा **"कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना"** के वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(अशोक कुमार त्रिवेदी)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को दिशा–निर्देशों की छाया–प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग
8. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
9. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा विभाग
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग
11. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
12. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर
13. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
14. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, बजाज नगर, जयपुर
15. क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, टोडरमल मार्ग, अजमेर
16. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2, 6) विभाग

23/10/19
(नरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक, (सां.)

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना दिशा–निर्देश

राज्य के जिला डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिये अपना जीवन समर्पित किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रृद्वांजलि देते हुये मा0 मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिनांक 29.07.2019 को वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की, कि **"डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिये 19 जून, 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बाला कालीबाई वीर की स्मृति में 'कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना' बनाई जायेगी। इसमें मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 7000 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जायेगा"।**

उक्त घोषणा की अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की जावेगी।

(1) योजना का नाम एवं उद्देश्य :–

1. राजस्थान राज्य के राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित)एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है।
2. योजना का नाम **"कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना"** होगा।
3. यह योजना वित्तीय वर्ष 2019–20 से प्रभावी होगी अर्थात् वर्ष 2019 में कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जायेगी।
4. इस योजना का **नोडल विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग** होगा।

(2) योजना के अन्तर्गत देय लाभ :–योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ शामिल है –

1. स्कूटी
2. स्कूटी के साथ–

- एक वर्ष का सामान्य बीमा,
- 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा,
- दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
- 1 हेलमेट
- छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय।

नोट– स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्वस्कूटी का विक्रय/बेचान नहीं किया जा सकेगा।

(3) योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात :–

1. विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी योजना में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय विद्यालयों से उतीर्ण छात्राओं के लिये **लगभग** 10 प्रतिशत स्कूटी तथा निजी विद्यालयों (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) से उतीर्ण छात्राओं के लिये **लगभग 25 प्रतिशत** स्कूटी दी जा सकेगी।
2. समस्त विभाग उक्त योजना में वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या में विभिन्न संकायों में निम्नानुसार अनुपात रखेंगे –

- विज्ञान संकाय में – कुल स्कूटी में से 40 प्रतिशत
- वाणिज्य संकाय में – कुल स्कूटी में से 5 प्रतिशत
- कला संकाय में – कुल स्कूटी में से 55 प्रतिशत
- वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग – कुल स्कूटी में से 1 स्कूटी

3. हालांकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं का प्रतिशत योजनान्तर्गत लगभग क्रमशः 10 एवं 25 रखा गया है लेकिन विभाजन की व्यावहारिकता को देखते हुए यह प्रतिशत उक्त प्रतिशत से कम/अधिक भी हो सकता है। अतः इस आधार पर कोई भी लाभार्थी कोर्ट के माध्यम से/अन्य तरीके से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी। **परिशिष्ट–1 में प्रदर्शित विवरण तालिका अंतिम रूप से मान्य होगी।**
4. प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से वरियता के आधार पर किया जायेगा।

(4) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता:–

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो।
2. राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर।उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे।
3. किसी भी महाविद्यालय/संस्था में स्नातक डिग्री अथवा किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (यथा BE/ B.Tech/ B.Arch./ MBBS/ IIT/ BBA/ BBM/ BCA/ BDS/ BHMS/ BAMS/ B.Pharma/ Law/ Dairy/ Fisheries/ Home Science/ Nursing/ STC/ ITI etc.) में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो।
4. स्नातक डिग्री अथवा किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रवेश में–
   (अ) 12वीं कक्षा उर्तीण के वर्ष से 1 वर्ष का अन्तराल (Gap) होने पर भी योजना का लाभ देय होगा
   (ब) प्रशासनिक विभाग यह अन्तराल 2 वर्ष तक का होने पर भी योजना का लाभ दिये जाने पर विचार करने हेतु सक्षम होगा।
5. छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राऐं भी इस योजना में लाभान्वित होगी। छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली **छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा।**
6. जिन छात्राओं नें उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्रायें इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। परन्तु पूर्व में TAD विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रों को 12वीं के परणिाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रूपयें एक मुश्त राशि प्राप्त होगी।

(5) विभिन्न विभागों के लिये योजना में पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक एवं स्कूटी की संख्या:–

(अ) कक्षा 12 के परिणाम के आधार पर:–

1. **उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्गो की छात्राओं हेतु) :–**
   - प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी एवं राज्य में कुल 1684 स्कूटी।

- पात्रता हेतु **वरीयता जिलेवार** निर्धारित की जायेगी।
- पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –
  (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत एवं
  (ब)केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 85 प्रतिशत।
- प्रत्येक जिले में 01 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।
- एक स्कूटी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के लिए राज्य स्तर पर मेरिट के स्थान पर दी जायेगी।

2. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

(1) अति पिछडा वर्ग (MBC)की छात्राओं हेतु :–

- सम्पूर्ण राज्य में 1000 स्कूटी
- पात्रता हेतु **वरीयता राज्य स्तर** पर निर्धारित की जायेगी।
- पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

  (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत एवं
  (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/ समकक्ष परीक्षा में 60 प्रतिशत।
- 10 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति वर्ग (SC)की छात्राओं हेतु :–

- सम्पूर्ण राज्य में 1000 स्कूटी
- पात्रता हेतु **वरीयता राज्य स्तर** पर निर्धारित की जायेगी।
- पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

  (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
  (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/ समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।
- 10 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।

3. **जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (अनुसूचित जनजाति (ST)की छात्राओं हेतु) :–**

- सम्पूर्ण राज्य में 2500 स्कूटी, जिसमें से 50 प्रतिशत स्कूटी अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी छात्राओं के लिये आरक्षित।
- पात्रता हेतु **वरीयता सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र** एवं **सम्पूर्ण गैर अनुसूचित क्षेत्र** के लिये **पृथक–पृथक** निर्धारित की जायेगी।

- पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –
  (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
  (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/ समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।
- 25 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी जिसमें 13 स्कूटी TSP क्षेत्र एवं 12 स्कूटी Non TSP क्षैत्र के लिये होगी। दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।

4. **स्कूल शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC)की छात्राओं हेतु)** :–
   - सम्पूर्ण राज्य में 600 स्कूटी
   - पात्रता हेतु **वरीयता राज्य स्तर** पर निर्धारित की जायेगी।
   - पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

     (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 65 प्रतिशत एवं
     (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/ समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत।
   - राज्य में 06 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।

5. **अल्पसंख्यक मामलात विभाग (अल्पसंख्यक वर्ग (Minority)की छात्राओं हेतु)** :–
   - सम्पूर्ण राज्य में 750 स्कूटी
   - पात्रता हेतु **वरीयता राज्य स्तर** पर निर्धारित की जायेगी।
   - पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक निम्नानुसार होगें –

   (अ) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में 60 प्रतिशत एवं
   (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी/ समकक्ष परीक्षा में 70 प्रतिशत।
   - 08 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिये क्षेतिज रूप में आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जायेगी।

नोट– (अ) अगर चयनित लाभार्थी छात्रा के पास <u>स्वयं के नाम पर</u> स्कूटी उपलब्ध है तथा वह स्कूटी के स्थान पर अन्य लाभ की मांग करती है जो उसे रूपये 40,000/– की राशि प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु छात्रा को अपनी स्कूटी से सम्बन्धित कागजात (RC etc) प्रस्तुत करने होंगे।

(ब) TAD/ स्कूल शिक्षा विभाग की जिन छात्राओं को पूर्व में 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी दी गई है उन छात्राओं को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर स्कूटी की जगह एक मुश्त 40,000 रूपयें दिये जायेंगे।

(ब) कक्षा 10 के परिणाम के आधार पर :–

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा में 90 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्त करने वाली वरीयता अनुसार प्रथम कुल 10000 छात्राओं को रूपये 10000 की नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया जायेगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अधिकतम 10 प्रतिशत (प्रत्येक वर्ग में भी इस अनुपात को संधारित किया जायेगा) छात्राओं को ही लाभ देय होगा। (कृपया परिशिष्ट– 2 देखें) इनमें से:–

- प्रथम 500 अनुसूचित जनजाति वर्ग (TSP)
- प्रथम 500 अनुसूचित जनजाति वर्ग (Non TSP)
- प्रथम 1500 अनुसूचित जाति वर्ग
- प्रथम 1000 अल्पसंख्यक वर्ग एवं
- प्रथम 500 अति पिछड़ा वर्ग (MBC) से होगी।

छात्राओं का चयन इनके वर्ग के अन्तर्गत वरीयता अनुसार किया जायेगा। किसी वर्ग में पर्याप्त छात्रा नही मिलने पर प्रशासनिक विभाग द्वारा कुल छात्राओं की आरक्षित संख्या तक लाभ दिया जायेगा।

यदि 10वीं कक्षा में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर अन्य कोई वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है तो इस योजनान्तर्गत लाभान्वित छात्रा जिन्होंने रूपये 10000 प्राप्त किये है उन्हें दूसरी योजनाओं के तहत वित्तीय प्रोत्साहन देय नहीं होगा। मेधावी छात्राओं को वित्तीय प्रोत्साहन का एक ही लाभ देय होगा।

स्पष्टीकरण:–

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पात्र छात्राऐं नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छात्रा को लाभान्वित किया जा सकेगा।
2. निजी विद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्रायें नहीं मिलने पर राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जा सकेगी।
3. प्रशासनिक विभागों की सुविधा के लिये एक संलग्नक (परिशिष्ट–1) जोड़ा गया है जिसमें विभिन्न वर्गों में आंवटित की जाने वाली स्कूटियों की संख्या निर्धारित की गई है।
4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या अधिकतम है।
5. यदि सामान्य वरीयता में कोई दिव्यांग छात्रा समायोजित हो जाती है तो उसको दिव्यांग छात्रा के लिए आरक्षित एक स्कूटी के लिए लाभार्थी मान लिया जायेगा।
6. यदि निर्धारित पात्रता अनुसार वरीयता सूची में कोई दिव्यांग छात्रा वरीयता में नहीं आती है परन्तु योजना में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक है तो उनकी श्रेणी के लिये आरक्षित स्कूटी की संख्या तक उनका चयन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में तीनों संकायों की common वरीयता सूची में से उच्चतम प्राप्तांक वाली दिव्यांग छात्राओं का चयन किया जावेगा एवं उतनी ही संख्या में सम्बन्धित संकाय के सम्बन्धित वर्ग में से उतनी ही स्कूटी कम करके समायोजित कर लिया जायेगा ताकि संबंधित वर्ग एवं संकाय में कुल छात्राओं की संख्या निर्धारित संख्या के अनुरूप ही रहे।
7. टीएसपी क्षेत्र की निवासी छात्रा नॉन टीएसपी क्षेत्र में अध्ययनरत होने पर वह टीएसपी/नॉनटीएसपी दोनो वर्ग में से किसी भी वर्ग में आवेदन कर सकेगी।
8. दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर मांग होने पर **मोटराईज्ड ट्राई–साईकिल** दी जा सकेगी। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत विशेष योग्यजनों को निदेशालय के पत्रांक एफ 16(1) () वियो/मो.ट्रा.यो./2017–18/13593–626 दिनांक 14.10.2017 के तहत **मोटराईज्ड ट्राई–साईकिल दी जा रही है।**

(6) **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज :–**

- राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका।
- सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण मय संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी TSP मूल निवास प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र/अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र/ आर्थिक पिछडा वर्ग प्रमाण–पत्र/विशेष पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र (जो कोई भी लागू हो) की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करनी होंगी।
- जन आधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति।

(7) **योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य प्रावधान :–**

1. योजना का **नोडल विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग** होगा।
2. सम्पूर्ण योजना का क्रियान्वयन पोर्टल (आईटी बेस्ड मॉनिटरिंग) के माध्यम से किया जायेगा।
3. Uniform portal का विकास माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग नये पोर्टल को विकसित करने के लिए वर्तमान में विद्यमान विभिन्न योजनाओं, RBSE/CBSE (यथा शाला दर्शन/पीएसपी) पोर्टल्स का अध्ययन करें एवं लाभार्थियों की सूची सीधे ही ऑन लाईन प्राप्त करेगा तथा इस नई योजना को त्वरित ढंग से लागू करने हेतु समुचित प्रयास करेगा।
4. सभी विभागों द्वारा योजना के लिये बजट का प्रावधान पूर्व की भांति अपने विभाग के सम्बन्धित बजट मदों में कराया जावेगा।
5. अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु योजना प्रथम बार लाई गई हैं। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा समुचित तरीके से बजट का प्रावधान कराया जावेगा।
6. माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित किया जावे कि किसी एक आधार नम्बर/जन आधार नम्बर की एक ही स्वीकृति निकले।
7. नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन/स्पष्टीकरण की कार्यवाही नोडल विभाग द्वारा की जायेगी।
8. नोडल विभाग द्वारा समय–समय पर योजना की समीक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजना के सकारात्मक प्रभाव का आंकलन कर सरकार को तद्नुसार पॉलिसी सुझाव दिया जायेगा।
9. सभी प्रशासनिक विभाग अपनी विभाग की योजना के सफल सुचारू एवं त्वरित क्रियान्वयन के लिये अपने अधिनस्थ कार्यालयों/अधिकारी को क्रियान्वयन एजेन्सी/विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकेगे।
10. प्रशासनिक विभाग आवेदन प्राप्त करने, उनको ऑनलाईन करने से लेकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करते हुये योजनानुसार वरीयता सूची का निर्धारण कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कॉमन पोर्टल का उपयोग करते हुये (ऑनलाईन) करेगे। योजना से संबंधित सभी सूचनायें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगी।
11. यथा संभव परिणाम घोषित होने के तीन माह के अन्दर स्कूटी वितरण की जायेगी।

(8) आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया :–

1. पात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को साथ में अपलोड़ किया जायेगा।
2. छात्रा एक से अधिक श्रेणी में आवेदन कर सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इस तरह से विकसित हो कि किसी एक **आधार नम्बर/ज़न आधार कार्ड नम्बर** की एक ही स्वीकृति निकले।
3. योजना में आवेदन करने के लिये संबंधित विभाग/संस्थाओं के कार्यालयों में योजना के लिये ऑफलाईन आवेदन किया जा सकता है। संबंधित विभाग का यह दायित्व होगा कि उनके विभाग के कार्यालयों में प्राप्त ऑफलाईन आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जावे एवं ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की मोनिटरिंग का कार्य भी संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।
4. पात्र छात्राओं द्वारा उनकी पात्रता अनुसार संबंधित श्रेणियों में आवेदन किया जावेगा। संबंधित वर्ग में निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर, निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग द्वारा इसके लिए एक कॉमन पोर्टल विकसित किया जायेगा। **पोर्टल पर आधार नं0/ जन आधार कार्ड नं0 के आधार पर कार्य करेगा।** योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन की समुचित मॉनिटरिंग की जावेगी ताकि लाभ लेने में दोहराव नहीं हो। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
5. प्रत्येक विभाग योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य कर ऑनलाईन/स्वीकृति जारी कर सकेंगे।

(9) योजना क्रियान्वयन की जिला स्तरीय समीक्षा

जिला स्तर पर **जिला कलक्टर, जिला स्तरीय शिक्षा निष्पादन समिति** के माध्यम से इस योजना की मॉनीटरिंग करेंगे। इस समिति में:–

(अ) छात्राओं को ऑनलाईन फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना

(ब) विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में प्राप्त ऑफलाईन फॉर्म्स को ऑनलाईन करने की प्रगति

(स) योजना से सम्बन्धित किसी भी तरह की शिकायत होने पर आवश्यक कार्यवाही

(द) इस योजना का समुचित प्रचार प्रसार, संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण आयोजित करवाना तथा

(य) त्वरित गति से स्कूटी के वितरण की व्यवस्था आदि की समीक्षा की जायेगी।

(10) स्कूटियों का क्रय(Procurement)

प्रत्येक विभाग के लिए योजना में वितरित की जाने वाली स्कूटी के क्रय (Procurement) हेतु स्कूटी का ब्रान्ड नाम, सीसी का निर्धारण, स्कूटी की कीमत आदि की कार्यवाही RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधानों के तहत **नोडल विभाग द्वारा** आधुनिक तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए की जावेगी।